सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ–250110

माननीय प्रबन्ध परिषद की 61वीं बैठक दिनाँक 20 अगस्त, 2025 का कार्यवृत्त

माननीय प्रबन्ध परिषद की 61वीं बैठक दिनाँक 20 अगस्त, 2025 को पूर्वान्ह् 11:30 बजे से सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ में सम्पन्न हुई। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नवत् रही है:–

1. डा0 के0के0 सिंह, कुलपति — **अध्यक्ष**
2. श्री धर्मेन्द्र कुमार भारद्वाज, मा0 सदस्य, विधान परिषद — **सदस्य**
3. श्री राजीव कुमार सिंह, मा0 विधायक — **सदस्य**
4. श्री रफीक अंसारी, मा0 विधायक — **सदस्य**
5. श्री इन्द्र विक्रम सिंह, सचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ। — **सदस्य**
   (प्रमुख सचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग, उ0प्र0 शासन के प्रतिनिधि)
   (ऑनलाईन प्रतिभाग किया गया)
6. डा0 अनिल कुमार, सहायक महानिदेशक, आई0सी0ए0आर0, नई दिल्ली। — **सदस्य**
   (ऑनलाईन प्रतिभाग किया गया)
7. श्री राकेश कुमार शर्मा, लाईव स्टाक ब्रीडर, मेरठ। — **सदस्य**
8. श्रीमती सुमन त्यागी, सामाजिक महिला कार्यकत्री, चांदपुर, बिजनौर। — **सदस्य**
9. श्री देवव्रत त्यागी, प्रगतिशील कृषक, मुजफ्फरनगर। — **सदस्य**
10. श्री अशोक कुमार, अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, मेरठ मण्डल, मेरठ (अपर मुख्य सचिव वित्त, उ0प्र0 के प्रतिनिधि)। — **सदस्य**
11. डा0 सुधांशु सिंह, कृषि वैज्ञानिक — **सदस्य**
    (ऑनलाईन प्रतिभाग किया गया)
12. श्री अशोक कुमार यादव, संयुक्त निदेशक, कृषि मेरठ मण्डल, मेरठ (निदेशक कृषि, उ0प्र0 के प्रतिनिधि)। — **सदस्य**
13. डा0 मोनिका सिंह, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, मेरठ मण्डल, मेरठ — **सदस्य**
    (अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा के प्रतिनिधि)
14. डा0 मानव, अपर निदेशक, पशुपालन, मेरठ मण्डल, मेरठ (निदेशक पशुपालन, उ0प्र0 के प्रतिनिधि) — **सदस्य**
15. श्री पंकज कुमार चतुर्वेदी, वित्त नियंत्रक — **सदस्य सचिव**

24/08/25
कुलपति
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ

वित्त नियन्त्रक
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ

बैठक के प्रारम्भ में श्री राकेश कुमार शर्मा, लाईव स्टाक ब्रीडर एवं श्रीमती सुमन त्यागी, सामाजिक महिला कार्यकत्री के पद पर तथा आई0सी0ए0आर0 प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त श्री अनिल कुमार, सहा0 महानिदेशक (ऑनलाईन) का स्वागत अध्यक्ष डा0 के0के0 सिंह, कुलपति द्वारा किया गया।

मा0 प्रबन्ध परिषद के अध्यक्ष एवं वित्त नियन्त्रक/सदस्य सचिव द्वारा विश्वविद्यालय की मा0 प्रबन्ध परिषद के नवनियुक्त एवं अन्य सभी मा0 सदस्यों का स्वागत किया गया। तदोपरांत बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

प्रस्ताव संख्या 61.1 : माननीय प्रबन्ध परिषद की 60वीं बैठक दिनाँक 28 मार्च, 2025 के कार्यवृत्त की पुष्टि।

मा0 प्रबन्ध परिषद की 60वीं बैठक दिनांक 28 मार्च, 2025 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

(कार्यवाहीः वित्त नियन्त्रक)

प्रस्ताव संख्या 61.2 : माननीय प्रबन्ध परिषद की 60वीं बैठक दिनाँक 28 मार्च, 2025 के निर्णयों की अनुपालन आख्या।

मा0 प्रबन्ध परिषद की 60वीं बैठक दिनांक 28 मार्च, 2025 के निर्णयों की अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।

मा0 प्रबन्ध परिषद की 60वीं बैठक दिनांक 28.03.2025 के बिन्दु संख्या–60.9 पर इंगित–विश्वविद्यालय चिकित्सालय पर महिला चिकित्सक को कांट्रेक्ट पर रखे जाने की योग्यता एवं मानदेय में संशोधन के सम्बन्ध में प्रस्ताव के संदर्भ में सचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ द्वारा कहा गया कि इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में उ0प्र0 शासन द्वारा एक पत्र भेजा गया था, जिसमें वर्णित किया गया था कि विश्वविद्यालय चिकित्सालय में महिला चिकित्सक को संविदा के आधार पर नियुक्त न किया जाये। उक्त चिकित्सक को

कुलपति
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ

वित्त नियन्त्रक
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ

आउटसोर्सिंग एजेन्सी के माध्यम से ही नियुक्त किया जाये। इस सम्बन्ध में मा0 प्रबन्ध परिषद को अवगत कराया गया कि 60वीं बैठक दिनांक 28.03.2025 की बैठक का कार्यवृत्त जारी होने के उपरांत उ0प्र0 शासन द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करते हुए विश्वविद्यालय परिसर में स्थित चिकित्सालय में महिला चिकित्सक को GEM द्वारा आउटसोर्सिंग सेवा प्रदाता के माध्यम से नियुक्त किया गया है। इससे सम्बन्धित प्रपत्र सुलभ संदर्भ हेतु प्रस्तुत किये जा रहे है (संलग्नक–01 एवं 02)।

(कार्यवाही: वित्त नियन्त्रक / प्र0अ0 चिकित्सालय)

प्रस्ताव संख्या 61.3 : विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध केन्द्र (Centre for International Relations) की स्थापना के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध केन्द्र (Centre for International Relations) की स्थापना के सम्बन्ध में सचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ द्वारा प्रस्ताव की सराहना की गयी तथा उनके द्वारा अभिमत व्यक्त किया गया कि इसके लिए किसी प्रकार के वित्तीय सहायता की मांग क्यों नही की गयी है, जिसके सम्बन्ध में मा0 अध्यक्ष / मा0 कुलपति द्वारा अवगत कराया गया कि इसके लिए उ0प्र0 शासन से किसी प्रकार के वित्तीय सहायता इत्यादि की आवश्यकता नही होगी क्योंकि उपरोक्त केन्द्र हेतु कार्यालय एवं स्टाफ तथा मूलभूत संसाधनों की व्यवस्था विश्वविद्यालय में पहले से ही उपलब्ध कार्मिकों तथा स्वयं के स्त्रोत से हुई आय से कर ली जायेगी। सभी मा0 सदस्यों ने मुक्त कण्ठ से विश्वविद्यालय की इस पहल पर प्रशंसा की गयी। विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध केन्द्र (Centre for International Relations) की स्थापना के सम्बन्ध में डा0 अनिल कुमार, सहायक महानिदेशक, आई0सी0ए0आर0 नई दिल्ली द्वारा अभिमत व्यक्त किया गया कि National Education Policy

कुलपति
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं
प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ

वित्त नियन्त्रक
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं
प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ

2020 में चैप्टर 12.8 में भी International Students Office की स्थापना के संदर्भ में विस्तार में वर्णन किया गया है।

मा० अध्यक्ष द्वारा सदन को उक्त केन्द्र के कार्य–कलापों एवं उद्देश्यों के सम्बन्ध में निम्नवत अवगत कराया गया:–

1. विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ औपचारिक समझौता (एम०ओ०यू०) एवं सहयोग को सुविधाजनक बनाना।
2. विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ विद्यार्थियों, संकाय सदस्यों एवं शोधकर्ताओं के लिए आदान–प्रदान कार्यक्रमों को प्रोत्साहित एवं संचालित करना।
3. विश्वविद्यालय में विदेशी छात्रों को आकर्षित करना एवं उन्हें आवश्यक सुविधायें प्रदान करना।

मा० प्रबन्ध परिषद के मा० सदस्यों द्वारा सर्वसम्मत्ति से विश्वविद्यालय परिसर में अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध केन्द्र (Centre for International Relations) के स्थापना हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

2

(कार्यवाही: कुलसचिव)

प्रस्ताव संख्या 61.4 : सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ के कार्मिकों के वेतन वहन हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग, उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 37/2025/3329309/कृशिअ–67–1002(002)/2/2025 दिनांक 05 अप्रैल, 2025 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–2026 में कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ के कार्मिकों के वेतन वहन हेतु वेतन मद के अन्तर्गत रू० 4731.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

इस सम्बन्ध में श्री धर्मेन्द्र कुमार भारद्वाज, मा० सदस्य, विधान परिषद एवं सचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग,

कुलपति
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ

वित्त नियन्त्रक
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ

उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ द्वारा उपर्युक्त शासनादेश के माध्यम से निर्गत धनराशि के सापेक्ष व्यय की विस्तृत सूचना निम्नवत है:–

क्र0 सं0	नियमित वेतन हेतु आवंटित बजट (रू0 में)	माह का नाम	प्रतिमाह व्यय धनराशि (रू0 में)	अवशेष धनराशि (रू0 में)
01	**473100000.00**			
		मार्च–2025	43793854.00	
		अप्रैल–2025	45882434.00	
		डी0ए0–एरियर 53 से 55 प्रतिशत	1615646	
		मई–2025	45379006.00	
		जून–2025	45323081.00	
		जुलाई–2025	45112176.00	
		कुल व्यय जुलाई–2025 तक	**227106197.00**	**245993803.00**

उपर्युक्त सूची के सम्बन्ध में वित्त नियन्त्रक/सचिव, मा0 प्रबन्ध परिषद द्वारा मा0 सदस्यों को अवगत कराया गया कि वित्तीय वर्ष 2025–26 में कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ के कार्मिकों के नियमित वेतन वहन हेतु वेतन मद के अन्तर्गत उ0प्र0 शासन के शासनादेश दिनांक 05.04.2025 के माध्यम से रू0 4731.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है। जिसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2025–26 में माह जुलाई–2025 तक रू0 2271.06 लाख की धनराशि व्यय हो चुकी है एवं रू0 2459.93 लाख मात्र अवशेष है।

उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक अनुमान के अन्तर्गत विश्वविद्यालय द्वारा रू0 5279.00 लाख की मांग के सापेक्ष रू0 4731.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 में अवशेष कुल 07 माह हेतु कार्मिकों के नियमित वेतन/भत्तों के लिए वर्तमान में अवशेष धनराशि अप्रर्याप्त होगी। अतिरिक्त धनराशि के लिए विश्वविद्यालय द्वारा पत्र संख्या सवप/वि0नि0/325 दिनांक 11.08.2025 के माध्यम से मांग

कुलपति
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ

वित्त नियन्त्रक
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ

का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है (संलग्नक–03)। वित्त नियन्त्रक/सचिव, मा0 प्रबन्ध परिषद द्वारा मा0 सदस्यों को यह भी अवगत कराया गया कि उ0प्र0 शासन द्वारा वेतन मद में प्रदान की जाने वाली धनराशि से वेतन/भत्तों के अतिरिक्त अन्य कोई भुगतान नही किया जाता है।

जिसपर मा0 प्रबन्ध परिषद के समस्त सदस्यों द्वारा सर्वसम्मत्ति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाहीः वित्त नियन्त्रक)

प्रस्ताव संख्या 61.5 : सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ में राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित पदों के सापेक्ष दिनांक 01.04.2005 व उसके बाद नियुक्त कार्मिकों के लिए नियोक्ता अंशदान (एन0पी0एस0) हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 38/2025/3332421/कृशिअ–67–1002 (003)/1/2024 दिनांक 07 अप्रैल, 2025 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–2026 में सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ में राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित पदों के सापेक्ष दिनांक 01.04.2005 व उसके बाद नियुक्त कार्मिकों के लिए नियोक्ता अंशदान (एन0पी0एस0) हेतु रू0 625.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

इस सम्बन्ध में श्री धर्मेन्द्र कुमार भारद्वाज, मा0 सदस्य, विधान परिषद एवं सचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ द्वारा उपर्युक्त शासनादेश के माध्यम से निर्गत धनराशि के व्यय की विस्तृत सूचना निम्नवत है:–

कुलपति
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ

वित्त नियन्त्रक
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ

क्र0 सं0	एन0पी0एस0 हेतु आवंटित बजट (रू0 में)	माह का नाम	प्रतिमाह व्यय धनराशि (रू0 में)	अवशेष धनराशि (रू0 में)
01	**62500000.00**			
		मार्च–2025	2038350.00	
		अप्रैल–2025	2064999.00	
		डी0ए0–एरियर 53 से 55 प्रतिशत	79944.00	
		मई–2025	2045194.00	
		जून–2025	2254095.00	
		जुलाई–2025	2272480.00	
		कुल व्यय जुलाई–2025 तक	**10755062.00**	**51744938.00**

उपर्युक्त सूची के सम्बन्ध में वित्त नियन्त्रक/सचिव, मा0 प्रबन्ध परिषद द्वारा मा0 सदस्यों को अवगत कराया गया कि वित्तीय वर्ष 2025–26 में सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ में राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित पदों के सापेक्ष दिनांक 01.04.2005 व उसके बाद नियुक्त कार्मिकों के लिए नियोक्ता अंशदान (एन0पी0एस0) हेतु आवंटित कुल धनराशि रू0 625.00 लाख की अवशेष धनराशि को मार्च–2026 में उ0प्र0 शासन को वापस कर दिया जायेगा।

जिसपर मा0 प्रबन्ध परिषद के समस्त सदस्यों द्वारा सर्वसम्मत्ति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाहीः वित्त नियन्त्रक)

कुलपति
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ

वित्त नियन्त्रक
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ

प्रस्ताव संख्या 61.6 : सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में गैर वेतन के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

उपरोक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 41/2025/3361015/कृशिअ–67–1002 (002)/7/2025 दिनांक 06 मई, 2025 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–2026 में कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ हेतु गैर वेतन मद के अन्तर्गत रू0 175.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है। साथ ही उपर्युक्त शासनादेश के अन्तर्गत कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ पर तकनीकी प्रशिक्षण हेतु रू0 4.38 लाख एवं प्रसार योजना के सृदृढ़ीकरण हेतु रू0 0.50 लाख की धनराशि की स्वीकृति भी प्रदान की गयी है।

इस सम्बन्ध में श्री धर्मेन्द्र कुमार भारद्वाज, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा उपर्युक्त शासनादेश के माध्यम से निर्गत धनराशि के व्यय की विस्तृत सूचना के सम्बन्ध में वित्त नियन्त्रक/सदस्य सचिव, मा0 प्रबन्ध परिषद द्वारा मा0 सदस्यों को अवगत कराया गया कि उ0प्र0 शासन द्वारा शासनादेश दिनांक 06 मई, 2025 के माध्यम से गैर वेतन मद में प्रथम किश्त के रूप में रू0 175.00 लाख की धनराशि निर्गत की गयी है। जिसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय द्वारा जेम/ई–टेण्डर के माध्यम से महाविद्यालयों में प्रयोगशाला उपकरण, फर्नीचर/फर्निशिंग, केन्द्रीय पुस्तकालय में पुस्तकों को क्रय करने, ऑटोमेशन से सम्बन्धित क्रय/कार्य कराने पर रू0 156.64 लाख व्यय हो चुका है एवं रू0 18.36 लाख मात्र की धनराशि अवशेष है। इस सम्बन्ध में वित्तीय वर्ष 2025–26 में इस मद में प्रथम किश्त में से व्यय हुई धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र एवं अवशेष धनराशि के सापेक्ष द्वितीय किश्त की मांग का प्रस्ताव विश्वविद्यालय द्वारा पत्र

कुलपति
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ

वित्त नियन्त्रक
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ

दिनांक 24.07.2025 के माध्यम से उ0प्र0 शासन को प्रेषित कर दिया गया है (संलग्नक–04)।

मा0 प्रबन्ध परिषद के समस्त सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाहीः वित्त नियन्त्रक)

प्रस्ताव संख्या 61.7 : कैरियर एडवांसमेन्ट स्कीम (CAS) के बन्द लिफाफे खोले जाने के सम्बन्ध में।

उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 359/67–कृशिअ–19–1500(16)/09 दिनांक 09.03.2019 द्वारा शिक्षकों को 7वें वेतनमान एवं शासनादेश संख्या 2052/67–कृशिअ–14–1500(16)/09 दिनांक 30.09.2014 द्वारा कैरियर एडवांसमेन्ट स्कीम (CAS) अनुमन्य करने के सम्बन्ध में निर्गत नियमों के अनुसार एवं विश्वविद्यालय की माननीय विद्वत परिषद की 59वीं बैठक दिनांक 04.11.2016 में लिए गये निर्णय द्वारा विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के कैरियर एडवांसमेन्ट स्कीम (CAS) के साक्षात्कार दिनांक 28.07.2025 से दिनांक 07.08.2025 तक किये गये।

अतः उपरोक्तानुसार कैरियर एडवांसमेन्ट स्कीम (CAS) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के विभिन्न महाविद्यालयों में कार्यरत कुल 29 शिक्षकों (तालिका में वर्णित क्रम संख्या–01 से 29 तक के अन्तर्गत क्रमांक–01 पर अंकित डा0 हरिओम कटियार को छोड़कर) को चयन समिति द्वारा पदोन्नति/उच्च वेतनमान प्रदान करने के सम्बन्ध में बंद लिफाफे खोलने के प्रस्ताव पर मा0 प्रबन्ध परिषद के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया (संलग्नकः–05)।

(कार्यवाहीः निदेशक प्रशासन एवं अनुश्रवण)

कुलपति
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ

वित्त नियन्त्रक
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ

प्रस्ताव संख्या 61.8 : कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ में संचालित विभिन्न महाविद्यालयों के अधिष्ठाताओं के पदों का कार्यकाल 03 वर्ष रखने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ में संचालित विभिन्न महाविद्यालयों के अधिष्ठाताओं के पदों का कार्यकाल 03 वर्ष अथवा अधिवर्षता प्राप्त करने की आयु तक, जो भी पहले हो, से सम्बन्धित प्रस्ताव को मा0 सदस्यों के समक्ष रखा गया।

इस प्रस्ताव के संदर्भ में अध्यक्ष/मा0 कुलपति जी द्वारा विस्तृत रूप से मा0 सदस्यों को अवगत कराया गया कि (i) दिनांक 03 जुलाई, 2014 को प्रमुख सचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार "शैक्षणिक संवर्ग के अन्तर्गत डीन तथा विभागाध्यक्ष के पदों पर भर्ती की कार्यवाही नही की जायेगी। सम्बन्धित पदों का उत्तरदायित्व सम्बन्धित संकाय/विभाग के वरिष्ठ प्राध्यापक द्वारा निहित व्यवस्था के अर्न्तगत निर्वहन किया जायेगा।" (ii) कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ का स्वयं का अधिनियम, परिनियम एवं विनियम (Act, Statutes & Regulations) नही होने की स्थिति में विश्वविद्यालय के अनुरोध पर उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत पत्र संख्या 1178/67–कृशिअ–14–500(6)/14 दिनांक 14.11.2014 द्वारा सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ के कार्य संचालन हेतु स्वयं की परिनियमावली (Statutes) प्रख्यापित होने की तिथि तक चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर की परिनियमावली को प्रभावी होने की अनुमति प्रदान की गयी।

श्री राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या–207/जी0एस0 दिनांक 13.01.1998 के माध्यम से चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के अधिनियम, परिनियम एवं विनियम (Act, Statutes & Regulations) के अन्तर्गत धारा–29(6) के अधीन अध्याय–XIII

कुलपति
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ

वित्त नियन्त्रक
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ

में निम्नलिखित प्राविधान किये जाने की स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की गयी थी कि उक्त संशोधन को विश्वविद्यालय की प्रबन्ध परिषद के समक्ष प्रस्तुत करके प्रबन्ध परिषद का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाये:—

Provided that no such advertisement in newspapers shall be necessary in the case of an appointment for the post of Dean and Head of department. Appointment to these position shall be made in the manner prescribed hereinafter;

The Dean of faculty shall be appointed from amongst the professor in the faculty concerned.

4(a)(2): The selection committee for the appointment of a Dean of faculty shall consist of:-

(i) The kulpati who shall be the chairman there of.

(ii) One Dean of faculty to be nominated by the kulpati.

(iii) One representative to be nominated by the Director General, Indian Council of Agricultural Research, New Delhi.

(iv) Two experts to be nominated by the kuladhipati.

4(a)(3): The term of the Dean shall be three years.

(a)(3): The term of Dean so appointed can be extended for a further period of three years, but in no cases a Dean can hold the post for more than two terms.

चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के अधिनियम, परिनियम एवं विनियम (Act, Statutes & Regulations) के अन्तर्गत अध्याय–XIII में श्री राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा दिये गये निर्देशों के उपरांत अधिसूचना संख्या–1626/98 दिनांक 12.11.1998 (प्रति संलग्न–06) के माध्यम से निम्नवत संशोधन किये गये है:—

4(a)(1). The Dean of Faculty shall be appointed from amongst the Professors in the Faculty concerned.

4(a)(3). The term of the Dean shall be three years.

(a)(4). The term of Dean so appointed can be extended for a further period of three years but in no cases a Dean can hold the post for more than two terms.

कुलपति
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ

वित्त नियन्त्रक
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ

इस सम्बन्ध में मा0 सदस्यों द्वारा मन्तव्य दिये गये। मा0 सदस्यों द्वारा चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर द्वारा उनके प्रबन्ध मण्डल के अनुमोदनोपरांत अधिसूचित किये गये संशोधनों को सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ में प्रभावी होने के फलस्वरूप अध्याय–13 के खण्ड–4 को इस विश्वविद्यालय में चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के अधिनियम, परिनियम एवं विनियम (Act, Statutes & Regulations) में अधिष्ठाता पद पर नियुक्ति के लिए निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करने का निर्णय लिया गया।

मा0 सदस्य श्री रफीक अंसारी, मा0 विधायक, मेरठ द्वारा इस प्रस्ताव पर असहमति व्यक्त करते हुए प्रस्ताव को उ0प्र0 शासन को सहमति हेतु भेजे जाने के सम्बन्ध में अभिमत व्यक्त किया गया। अन्य सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी। इस पर अध्यक्ष/मा0 कुलपति महोदय द्वारा सभी मा0 सदस्यों की सहमति से इस प्रस्ताव पर प्रबन्ध परिषद के कार्यवृत्त पर शासन की पुष्टि के पश्चात विश्वविद्यालय में अधिष्ठाता के पद पर नियुक्ति के लिए तद्नुसार अध्याय–13 में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करने का निर्णय लिया गया।

(कार्यवाहीः निदेशक प्रशासन एवं अनुश्रवण/कुलसचिव)

प्रस्ताव संख्या 61.9 : डा0 नरेश प्रताप सिंह, सहायक प्राध्यापक, जैव प्रौद्योगिकी के विरूद्ध यौन शोषण सहित विभिन्न प्रकार की शिकायतों के दृष्टिगत गठित जांच समिति की रिपोर्ट पर निर्णय लेने के सम्बन्ध में।

डा0 नरेश प्रताप सिंह, सहायक प्राध्यापक, जैव प्रौद्योगिकी के विरूद्ध यौन शोषण सहित विभिन्न प्रकार की शिकायतों के

कुलपति
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ

वित्त नियन्त्रक
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ

दृष्टिगत गठित जांच समिति की रिपोर्ट पर निर्णय हेतु माननीय प्रबन्ध परिषद में विस्तृत चर्चा की गयी।

प्रस्ताव पर चर्चा में डा0 नरेश प्रताप सिंह, सहायक प्राध्यापक, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में छात्रों के साथ किये गये कृत्यों की मा0 सदस्यों द्वारा भर्त्सना एवं निंदा की गयी। श्री धर्मेन्द्र कुमार भारद्वाज, मा0 सदस्य, विधान परिषद, श्री राकेश कुमार शर्मा, लाईव स्टाक ब्रीडर द्वारा अभिमत व्यक्त किया गया कि डा0 नरेश प्रताप सिंह को दण्डित किया जाये परंतु किसी दीर्घ शास्तीय/दण्ड तथा सेवा से हटाने सम्बन्धी निर्णय लेने से पूर्व गंभीरतापूर्णक विचार किया जाये।

सचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ एवं श्री राजीव कुमार सिंह, मा0 सदस्य, विधानसभा द्वारा पृच्छा की गयी कि क्या उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील), 1999 को विश्वविद्यालय द्वारा अंगीकृत की गयी है। इस पर अध्यक्ष/मा0 कुलपति जी द्वारा स्पष्ट किया गया कि जहां पर परिनियमावली में किसी प्रक्रिया का विशिष्ट उल्लेख नही होता है वह स्वतः ही विश्वविद्यालय द्वारा उ0प्र0 शासन द्वारा प्रख्यापित प्रक्रिया का पालन किया जाता है। साथ ही अध्यक्ष महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि परिनियामली के अध्याय–21 के बिन्दु संख्या–3 (Conditions of service, Appointment, Suspension, Removal and Control) के प्रस्तर–(E)(2) में व्यवस्था दी गयी है, जिसके अनुसार विश्वविद्यालय के किसी कर्मचारी की सेवा समाप्ति के दण्ड का आधार ("Commission of any act which in the opinion of the Board involves moral turpitude- नैतिक अधमता") हो सकता है। सचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ द्वारा इस कृत्य को इसी श्रेणी में दण्ड का आधार बनाने के लिए अपना अभिमत दिया गया। मा0 प्रबन्ध परिषद के सदस्य श्री राजीव कुमार सिंह, मा0 विधायक एवं

कुलपति
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ

वित्त नियन्त्रक
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ

श्रीमती सुमन त्यागी, सामाजिक महिला कार्यकत्री द्वारा प्रकरण को अत्यन्त लज्जास्पद बताया गया। मा0 प्रबन्ध परिषद द्वारा प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरांत अभिमत दिया गया कि चूंकि जांच समिति की जांच आख्या में अपचारी कार्मिक पर लगाये गये सभी आरोप सिद्ध हो रहे है, ऐसी स्थिति में अपचारी कार्मिक को शास्ती/दण्ड, अपचारी कार्मिक द्वारा किये गये कृत्य के अनुपातिक होना चाहिए। अतः मा0 प्रबन्ध परिषद की सर्वसम्मत्ति से डा0 नरेश प्रताप सिंह, सहायक प्राध्यापक, जैव प्रौद्योगिकी के विरूद्ध निम्नवत निर्णय लिया गयाः—

दीर्घ शास्तियां—3— सेवा से हटाना (Removal for service) जो भविष्य में नियोजन (Employment) के लिए निरर्हित (Disqulify) न करता हो, का अनुमोदन किया गया।

(कार्यवाहीः कुलसचिव/निदेशक प्रशासन एवं अनुश्रवण)

प्रस्ताव संख्या 61.10 : **डा0 रचना वर्मा, प्राध्यापक (पशु औषधि एवं विष विज्ञान विभाग) पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, द्वारा पूर्व में दिनांक 28.02.2004 से 20.05.2018 तक आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या (उ0 प्र0) में सहायक प्राध्यापक एवं सह प्राध्यापक (पशु औषधि एवं विष विज्ञान विभाग) के पद पर दी गयी सेवाओं को पेंशन आगणन हेतु जोड़ने के सम्बन्ध में।**

डा0 रचना वर्मा, प्राध्यापक (पशु औषधि एवं विष विज्ञान विभाग) पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, द्वारा पूर्व में दिनांक 28.02.2004 से 20.05.2018 तक आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या (उ0 प्र0) में सहायक प्राध्यापक एवं सह प्राध्यापक (पशु औषधि एवं विष विज्ञान विभाग) के पद पर दी गयी सेवाओं को पेंशन आगणन हेतु जोड़ने के सम्बन्ध में मा0 प्रबन्ध परिषद के सदस्यों को अवगत कराया गया कि डा0 रचना वर्मा, प्राध्यापक (पशु औषधि एवं विष विज्ञान

कुलपति
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ

वित्त नियन्त्रक
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ

विभाग) पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ में दिनांक 21.05.2018 को योगदान प्रस्तुत किया था। डा0 रचना वर्मा द्वारा प्रेषित अनुरोध पत्र के उपरान्त निदेशक प्रशासन एवं अनुश्रवण कार्यालय के पत्र संख्या सवप / 2023 / नि0प्र0अनु0 / 11649 दिनांक 17.01.2023 द्वारा निदेशक प्रशासन एवं परिवीक्षण, आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या (उ0 प्र0) को प्रेषित किया गया था। निदेशक प्रशासन एवं परिवीक्षण, आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या (उ0 प्र0) के पत्र संख्या ए.एन.डी.यू.ए.टी.–07 / स्था.2 / व्य. / 2025 / 728, दिनांक 10.07.2025 द्वारा डा0 रचना वर्मा की सेवाओं का सत्यापन करते हुये सेवा पुस्तिका सहित अन्य अभिलेख उपलब्ध करा दिया गया है, जिसमें शासन के शासनादेश संख्या 17 / 2019 / सा– 3–346 / दस–2019–933 / 89, दिनांक 30 अप्रैल, 2019 के साथ संलग्न सेवा निवृत्तिक लाभों के लिए सेवाओं को जोडे जाने हेतु प्रारूप पत्र में दिनांक 28.02.2004 से 19.05. 2018 (अन्तिम वेतन प्रमाण पत्र के अनुसार दिनांक 20.05.2018 तक का वेतन आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या (उ0 प्र0) द्वारा दिया गया है) तक की सेवाऐं सत्यापित कर प्रेषित की गई है। शासनादेश सं0 CM-64/12-8-98-4001/95, दिनांक 16 सितम्बर, 1998 में वर्णित व्यवस्था कृषि विश्वविद्यालयों के शिक्षकों / शिक्षणेत्तर कर्मचारियों द्वारा विश्वविद्यालय में आने से पूर्व अन्यत्र की गई सेवाओं की गणना पेंशन हेतु आगणित किये जाने के सम्बन्ध में के बिन्दु सं0 02 में दी गई व्यवस्था जिन संस्थाओं की पूर्व में की गई सेवायें पेंशन हेतु जोड़ी जानी हो वह सेवा पेन्शनेबुल हो तथा पेंशन देने का दायित्व राज्य सरकार का हो, का निर्देश दिया गया है।

अतः माननीय प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मत्ति से डा0 रचना वर्मा, प्राध्यापक (पशु औषधि एवं विष विज्ञान विभाग) पशु चिकित्सा

कुलपति
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं
प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ

वित्त नियन्त्रक
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं
प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ

एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, द्वारा पूर्व में दिनांक 28.02.2004 से 20.05.2018 तक आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या (उ0 प्र0) में सहायक प्राध्यापक एवं सह प्राध्यापक (पशु औषधि एवं विष विज्ञान विभाग) के पद पर दी गयी सेवाओं को पेंशन आगणन हेतु जोड़ने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाही: निदेशक प्रशासन एवं अनुश्रवण)

प्रस्ताव संख्या 61.11 : श्रीमती लक्ष्मी मिश्रा, वित्त अधिकारी, मेजर ध्यान चन्द राज्य खेल विश्वविद्यालय, मेरठ को कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ के आवास में आवासित रहने की अनुमति के सम्बन्ध में।

कृपया उपर्युक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में मा0 सदस्यों को अवगत कराया कि मा0 कुलपति जी, मेजर ध्यानचन्द राज्य खेल विश्वविद्यालय, मेरठ के पत्रांक 175/मे0ध्या0रा0खे0वि0वि0/ 2025–26 दिनांक 12.08.2025 के माध्यम से श्रीमती लक्ष्मी मिश्रा, वित्त अधिकारी, मेजर ध्यानचन्द राज्य खेल विश्वविद्यालय, मेरठ को कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ के आवास में यथावत रहने की अनुमति के सम्बन्ध में कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ में वर्तमान में वित्त नियन्त्रक के पद पर कार्यरत श्री पंकज कुमार चतुर्वेदी द्वारा अवगत कराया गया कि वे पिछले 01 वर्ष से विश्वविद्यालय परिसर से बाहर किराये के मकान में रह रहे हैं, जिसके दृष्टिगत उनको भी परिसर में वित्त नियन्त्रक को आवास की आवश्यकता है।

उपर्युक्त के दृष्टिगत श्री धर्मेन्द्र कुमार भारद्वाज, मा0 सदस्य, विधान परिषद, श्री रफीक अंसारी, मा0 सदस्य, विधानसभा एवं सचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ सहित अन्य मा0 सदस्यों द्वारा सर्वसम्मत्ति से कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ में वर्तमान में वित्त नियन्त्रक के पद कार्यरत श्री पंकज कुमार चतुर्वेदी को

कुलपति
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ

वित्त नियन्त्रक
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ

परिसर में वित्त नियन्त्रक हेतु आवास आवंटित करने हेतु मा0 कुलपति जी को निर्णय लेने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही आवास संख्या–टाईप–5, 6/1 को विश्वविद्यालय के वित्त नियन्त्रक को पदेन चिन्हांकित करने हेतु भी अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाही: अध्यक्ष, आवास आवंटन समिति/ प्रभारी अधिकारी परिसम्पत्ति)

वित्त नियन्त्रक द्वारा अध्यक्ष महोदय एवं सभी माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त किया गया और धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गई।

22/08/25

(पंकज कुमार चतुर्वेदी)
वित्त नियंत्रक/सचिव, मा0 प्रबन्ध परिषद
वित्त नियन्त्रक
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ

अनुमोदित

22/08/25

(डा0 के0के0 सिंह)
कुलपति/अध्यक्ष, मा0 प्रबन्ध परिषद
कुलपति
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एव प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ

सलंग्नक-01

अनुबंध | Contract

GeM Government e Marketplace — Efficient • Transparent • Inclusive
Azadi Ka Amrit Mahotsav

अनुबंध क्रमांक | Contract No: GEMC-511687705192334
अनुबंध तिथि | Contract Generated Date : 07-Jul-2025

संगठन विवरण | Organisation Details

प्ररूप | Type :	State Government
मंत्रालय | Ministry :	-
विभाग | Department :	Agriculture Education and Research Department Uttar Pradesh
संगठन का नाम | Organisation Name :	N/A
कार्यालय क्षेत्र | Office Zone:	Meerut

खरीदार विवरण | Buyer Details

पद | Designation :	Professor
संपर्क नंबर | Contact No. :	-
ईमेल आईडी | Email ID :	deepak.sisodiasvp@gov.in
जीएसटीआईएन | GSTIN :	-
पता | Address :	Modipuram, Roorkee Road, NH 58, MEERUT, UTTAR PRADESH-250110, India

वित्तीय स्वीकृति विवरण | Financial Approval Detail

आईएफडी सहमति | IFD Concurrence :	Yes
प्रशासनिक अनुमोदन का पदनाम | Designation of Administrative Approval:	vice chancellor
वित्तीय अनुमोदन का पदनाम | Designation of Financial Approval :	vice chancellor

भुगतान प्राधिकरण विवरण | Paying Authority Details

Role:	PAO
भुगतान का तरीका | Payment Mode:	Internet Banking
पद | Designation :	Comptroller
ईमेल आईडी | Email ID :	fcsvp.me-up@gov.in
जीएसटीआईएन | GSTIN :	N
पता | Address:	Modipuram, Roorkee Road, NH 58, MEERUT, UTTAR PRADESH-250110, India

परेषिती विवरण | Consignee Details

क्र.सं. | S.No	परेषिती नाम & पता | Consignee Name & Address	सेवा विवरण | Service Description
1	संपर्क | Contact : 0121-2888502- ईमेल आईडी | Email ID : storesvp.me-up@gov.in जीएसटीआईएन | GSTIN : 09AAAGSD405G1ZL पता | Address : Sardar Vallabhbhai Patel University of Agriculture and Technology, Modipuram, Roorkee Road, Meerut., MEERUT, UTTAR PRADESH-250110, India	Manpower Outsourcing Services - Fixed Remuneration - Healthcare; Ayurvedic Medical Officer (Ayush); Graduate

सेवा प्रदाता विवरण | Service Provider Details

जेम विक्रेता आईडी | GeM Seller ID :	D616180000408187
कंपनी का नाम | Company Name :	RAJ SECURITY PLACEMENT AND EARTHMOVERS
संपर्क नंबर | Contact No. :	09450035599
ईमेल आईडी | Email ID :	rajendradixit1967@gmail.com
पता | Address :	0,TALABPURA, Lalitpur, UTTAR PRADESH-284403, -
एमएसएमई पंजीकरण संख्या | MSME Registration number :	UDYAM-UP-49-0001189
जीएसटीआईएन | GSTIN:	09AIIPD6336L1ZZ (R)
एमएसई सामाजिक श्रेणी | MSE Social Category :	General
एमएसई लिंग श्रेणी | MSE Gender :	Male

*जिसके नाम के पक्ष में GST/TAX इनवॉइस पेश किया जाएगा | GST / Tax invoice to be raised in the name of - Buyer

सेवा विवरण | Service Details

सेवा प्रारंभ दिनांक (नवीनतम) | Service Start Date (latest by): 01-Aug-2025 सेवा समाप्ति तिथि | Service End Date : 31-Jul-2026

श्रेणी नाम | Category Name : Manpower Outsourcing Services - Fixed Remuneration

बिलिंग चक्र | Billing Cycle: monthly

विवरण | Description		Number of Resources to be hired	Percentage of Service charge inclusive of GST
Type of Function	Healthcare		
List of Profiles	Ayurvedic Medical Officer (Ayush)		
Educational Qualification	Graduate		
Specialization	Medicine		
Post Graduation	Not Required		
Specialization for PG	Not Applicable		
Experience	0 to 3 Years		
Tenure/ Duration of Employment (In Months)	12		
Basic monthly pay (INR) exclusive of GST	20,000		
Provident Fund (INR Monthly)	2,400	1	3.85

ESI (INR Monthly)	650
Bonus (INR Monthly)	0
EPF Admin Charges (INR Monthly)	200
EDLI (INR Monthly)	0
Optional Allowances 1 (INR Monthly)	0
Optional Allowances 2 (INR Monthly)	0
Optional Allowances 3 (INR Monthly)	0
Remuneration per resource per hour for Overtime Hours (Including all applicable allowance etc & excluding GST)	0
Estimated Number of Overtime Hours per Resource per Month	0

कुल राशि (सूत्र) | Total Amount (Formula) :

(((Basic monthly pay (INR) exclusive of GST+ESI (INR Monthly)+Provident Fund (INR Monthly)+EDLI (INR Monthly)+Bonus (INR Monthly)+EPF Admin Charges (INR Monthly) +Optional Allowances 1 (INR Monthly)+Optional Allowances 2 (INR Monthly)+Optiona l Allowances 3 (INR Monthly)+Estimated Number of Overtime Hours per Resource per Month*Remuneration per resource per hour for Overtime Hours (Including all applicable allowance etc & excluding GST))*(1.18+Percentage of Service charge inclusive of GST/100))*Tenure/ Duration of Employment (In Months)*Number of Resources to be hired)

ऐडऑन के बिना कुल मूल्य | Total Value without Addons(INR)	339961.5
कुल एडऑन मूल्य | Total Addon Value(INR)	0
ऐडऑन सहित कुल मूल्य | Total Value Including Addons(INR)	339961.50

अनुबंध की राशि | Amount of Contract

सभी शुल्क और करों सहित कुल अनुबंध मूल्य | Total Contract Value Including All Duties and Taxes(INR)	339961.5

एसएलए विवरण | SLA Details

Service Level Agreement

Manpower Outsourcing Services – Fixed Remuneration Based

1 Agreement Overview

This is a Service Level Agreement ("SLA" or "Agreement") between the Buyer and Manpower HiringAgency/Service Provider. The purpose of this Agreement is to facilitate implementation of Manpower Hiring Service at the Buyer's premises, or any other premises approved by the Buyer. This Agreement outlines the scope of work, Buyer's obligations, special terms and conditions related to service delivery ahd payment of services. The Agreement remains valid till completion of scope of services or end of contractual duration (whichever is earlier) unless mutually extended by both the parties.

The Services contracts placed through GeM shall be governed by following set of Terms and Conditions:

I. General terms and conditions for Services;("GTC")
II. Service Specific Standard Terms and Conditions ("STC") of the Services contracts shall include the service level agreement (SLA) for the service.
III. BID/ Reverse Auction specific Additional Terms & Conditions (ATC) as specified by the buyer.

The above terms and conditions are in reverse order of precedence i.e. ATC shall supersede Service specific STC which shall supersede GTC, whenever there are any conflicting provisions. The above set of terms and conditions along with the scope of work and SLA as enumerated in this document shall be construed to be part of the Contract/Agreement between the Buyer and Service Provider.

2 Objectives and Goals

The objective of this Agreement is to ensure that all the commitments and obligations are in place to ensure consistent delivery of services to Buyer by Service Provider. The goals of this agreement are to:
I. Provide clear reference to service ownership, accountability, roles and responsibilities of both parties
II. Present a clear, concise, and measurable description of services offered to the Buyer
III. Establish terms and conditions for all the involved stakeholders, it also includes the actions to be taken in case of failure to comply with conditions specified
IV. To ensure that both the parties understand the consequences in case of termination of services due to any of the stated reasons
ThisAgreement will act as a reference document that both the parties have understood the above-mentioned terms and conditions and have agreed to comply by the same.

3 Parties to the Agreement

The main stakeholders associated with this agreement are below-

1. **Buyer**: Buyer is responsible to provide clear instructions, approvals and timely payments for the services availed
2. **ServiceProvider**: Service provider is responsible to provide all the required services in timely manner. Service provider may also include seller, any authorized agents, permitted assignees, successors and nominees as described in the agreement
   The responsibilities and obligations of the stakeholders have been outlined in this document. The document also encompasses service level/ deductions in case of non-adherence to the defined terms and conditions.

4 Terms & Conditions

4.1 Buyer's Obligations:

i. The Buyer shall provide workspace (seating area, work desk, furniture etc.) for the manpower hired through Service Provider, the Buyer shall also arrange necessary gate/ entry pass to Buyer's premise/ designated premise for the manpower.
ii. Working shifts (includes day and night shift) if any, and daily working hours shall be mutually agreed upon between Buyer and Service Provider and should follow all the labor laws.
iii. The Buyer shall directly or in consultation with the Service Provider provide the necessary training to the manpower for Buyer specific tools, applications, and machinery etc., if required.'
iv. The Buyer shall provide, free of charge unimpeded access to all the infrastructure which is required to perform the Services. It may include use of stationery, printer, electricity, internet, Buyer specific servers, data drives, tools, and software etc. However, use of such infrastructure shall be limited for official purpose only.
v. The Buyer shall make necessary arrangements for use of basic facilities like water pots/ machines, cafeteria, washrooms etc. for manpower working at Buyer's premise/ designated premise.
vi. TA/ DA shall be payable directly by the Buyer, in case of travel included in the scope of work, on production of travel documents in original and approval of appropriate

सलंग्नक-02

Reg.no.-13712/2004
LABOUR Reg.no-6358/2016 Rnu
PAN-AIIPD5336L

Tin No-0983/705377s

S.T.No. AIPD 5336L SD002/2015
EPFO- 47714/cd
ESIC-21000590490001018

Raj Security Placement & Earth Mover's

Talabpura Lalitpur, Distt. Lalitpur (U.P.) -284403

Public Private & Govermment Sectors Contraetor and Suppliers

Security, Placement House- Keeping, Labour supplier, Labour Contractor, Consultancy service stasnary,M&R (civil) and earth Mover's etc

Ref no. 11.02/ [illegible] /2025-26 Date 28/07/25

सेवा में,

श्री मान कुलपति महोदय,
सरदार वल्लभ भाई पटेल विश्वविघालय,
कृषि एवं अनुसंधान केन्द्र,मोदी पुरम रूडकी रोड मेरठ (उत्तर प्रदेश)

विषय – जेम बिड अनुबन्ध संख्या जी0ई0एम0सी / 51 687705192334 के कम में एक पद आर्युवेद मेडिकल ऑफीसर (आयुष) पर तैनाती बावत।

महोदय,

आपको अवगत कराना है कि जेम बिड अनुबन्ध संख्या जी0ई0एम0सी / 511687705192334 के कम में आर्युवेद मेडिकल ऑफीसर (आयुष) के एक पद पर तैनाती के सम्बन्ध में ऐसा खत्री पुत्री विकास मोहन निवासी मकान नम्बर 97 / 4 इन्द्रापुरम थाना परतापुर मेरठ जिला मेरठ का आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है जिसकी योग्ता आपके विज्ञापित पद अनुरूप है जिसकी एजेन्सी के माध्यम से उल्लिखित जेम आदेश के कम मे परिप्रेक्ष्य में तैनाती की जा रही है उक्त आवेदिका को उनके पते के माध्यम से उनको पत्र प्रेषित कर दिया गया है ।

अतः श्री मान जी योगदान आख्या लेकर अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें ।

श्री मान जी की महत्ति कृपा होगी ।

धन्यवाद सहित।

प्र००० (हास्पिटल)

1/08/25

Dr. K.K. SINGH
Vice-Chancellor
S.V.P.U.A.&T., Meerut

V.C. Office
2269
1/8/25

(संलग्नक-03)

पंकज कुमार चतुर्वेदी
वित्त नियन्त्रक

सरदार वल्लभभाई पटेल
कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,
मेरठ–250110 (उ.प्र.)
Tel: 0121-2888514 (O)
Fax: 0121-2888505, 2888525

पत्रांकः सवप/2025/वि0नि0/325
दिनाँकः 11 अगस्त, 2025

सेवा में,

अनुसचिव,
कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग,
उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय भवन,
लखनऊ।

विषयः– चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ के शिक्षकों/कर्मचारियों के अवशेष माह के वेतन/भत्ते वहन हेतु धनराशि की मांग के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय के संदर्भ में अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2025–26 में वेतन/भत्ते मद में कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ द्वारा कार्यरत एवं रिक्त पदों हेतु रू0 5386+4730=10116.00 लाख की मांग के सापेक्ष कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के पत्र संख्या 37/2025/3329309/कृशिअ–67–1002(002)/2/2025 दिनांक 05 अप्रैल, 2025 के माध्यम से प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 4731.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

उ0प्र0 शासन द्वारा उपरोक्तानुसार अवमुक्त की गयी धनराशि रू0 4731.00 लाख के सापेक्ष माह जुलाई–2025 तक वेतन भुगतान के उपरांत रू0 2271.06 लाख का व्यय हो चुका है एवं रू0 2459.94 लाख की धनराशि अवशेष है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आगामी सात माह (अगस्त, 2025 से फरवरी, 2026 तक) हेतु कार्यरत कार्मिकों के वेतन भुगतान हेतु रू0 3479.40 लाख का व्यय भार आयेगा। इस प्रकार अवशेष उपलब्ध धनराशि (3479.40 – 2459.94) **रू0 1019.46 लाख** की अतिरिक्त आवश्यकता होगी। यह भी अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न महाविद्यालयों के शैक्षणिक वर्ग की नियुक्ति हेतु 42 पदों हेतु विज्ञापन विज्ञापित किया जा चुका है, जिसपर अनुमानित रू0 671.45 लाख का व्यय भार आयेगा। इसी प्रकार विश्वविद्यालय में शैक्षणिक वर्ग के कार्यरत शिक्षकों के कैरियर एडवांसमेन्ट स्कीम के लाभ प्रदान किये जाने के फलस्वरूप रू0 107.19 लाख का व्यय भार प्रस्तावित है।

अतः संलग्न विवरणानुसार कार्यरत कार्मिकों के 07 माह के वेतन भुगतान हेतु रू0 1019.46 लाख तथा विज्ञापित पदों तथा कैरियर एडवांसमेन्ट स्कीम हेतु क्रमशः रू0 671.45 लाख एवं रू0 107.19 लाख की अतिरिक्त धनराशि आवंटित कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय

(पंकज कुमार चतुर्वेदी)
वित्त नियन्त्रक

प्रतिलिपिः जनसंपर्क अधिकारी को मा0 कुलपति जी के अवलोकनार्थ प्रेषित।

(पंकज कुमार चतुर्वेदी)
वित्त नियन्त्रक

(संलग्नक:-04)

E-mail.

पंकज कुमार चतुर्वेदी
वित्त नियन्त्रक

सरदार वल्लभभाई पटेल
कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,
मेरठ-250110 (उ.प्र.)
Tel: 0121-2888514 (O)
Fax: 0121-2888505, 2888525

पत्रांक: सवप/2025/वि0नि0/319
दिनाँक: 24 जुलाई, 2025

सेवा में,

अनुसचिव,
कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग,
उ0प्र0 शासन, सचिवालय भवन, लखनऊ।

महोदय,

कृपया वित्तीय वर्ष 2025-26 में उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 41/2025/3361015/कृशिअ-67-1002(002)/7/2025 दिनांक 06 मई, 2025 के माध्यम से कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ में अनुदान संख्या-011-2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा-80-सामान्य-120-अन्य संस्थाओं को सहायता-12-कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मोदीपुरम, मेरठ की स्थापना-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के अन्तर्गत गैर-वेतन/कन्टीजैन्सी हेतु प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 175.00 लाख मात्र की धनराशि निर्गत की जा चुकी है, जिसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र निम्नवत है:-

उपयोगिता प्रमाण-पत्र

विवरण (वित्तीय वर्ष-2025-26)	मानक मद संख्या-20 में शासन से प्राप्त अनुदान (धनराशि रू0 में)	व्यय धनराशि (धनराशि रू0 में)	अभ्युक्ति
अनुदान संख्या-011-2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा-80-सामान्य-- 120 -अन्य संस्थाओं को सहायता- 12- कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मोदीपुरम, मेरठ की स्थापना-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)-कन्टीजैन्सी	1,75,00,000.00	1,56,64,963.00 (90%)	धनराशि रू0 15664963.00 मात्र के विभिन्न देयकों का भुगतान कोषागार के माध्यम से करा दिया है जबकि रू0 1875037.00 मात्र की धनराशि अवशेष है।
कुल योग:-	1,75,00,000.00	1,56,64,963.00	

प्रमाणित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा स्वीकृत अनुदान का उपयोग उसी कार्य/प्रयोजन के लिए किया गया है, जिसके लिए स्वीकृत किया गया है।

अतः उपर्युक्त मद (गैर-वेतन/कन्टीजैन्सी) में वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु प्रावधानित धनराशि से द्वितीय किश्त की धनराशि निर्गत करने का कष्ट करें।

संलग्नक:- कोशवानी पोर्टल से डाउनलोड-स्लिप की छायाप्रति।

भवदीय

(पंकज कुमार चतुर्वेदी)
वित्त नियन्त्रक

Treasury	Standard Object	Plan / Non-Plan	Voted / Charged	Progressive Allotment	Expenditure Upto Month(June)(June)(June)	Expenditure During Month(July)(July)(July)	Progressive Expenditure	% A/E
MEERUT SADAR	20-सहायता अनुदान -सामान्य (गैर वेतन)	N	V	17500000	0	15664963	15664963	89.51
	31-सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	N	V	473100000	181994021	0	181994021	38.47
MEERUT SADAR	20-सहायता अनुदान -सामान्य (गैर वेतन)	N	V	17500000	0	15664963	15664963	89.51
	31-सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	N	V	473100000	181994021	0	181994021	38.47

(संलग्नक-05) 43

तालिका –1

कैरियर एडवासमेंट स्कीम (CAS) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के विभिन्न महाविद्यालयों में कार्यरत कुल 29 शिक्षकों तालिका–1 में वर्णित क्र0सं0 01 से 29 तक को चयन समिति द्वारा पदोन्नति/उच्च वेतनमान प्रदान किये जाने के संबंध में है।

S N	Name	Present Designation	Department/ Subject	Present Pay Scale & Grade Pay	Promotion under CAS on the designation/Pay Scale or Grade Pay		
					Designation	Grade Pay	Date of Intiview
1	Dr. Hariom Katiyar	Associate Director/ Associate Professor	Horticulture	Rs. 37400-67000 Stage 4 (AGP 9000) at academic level 13 A		Rs. 37400-67000 Stage 5 (AGP 10000) at academic level 14	
2	Dr. Atar Singh	Assistant Professor	Genetics & Plant Breeding	Rs. 15600-39100 Stage 3 (AGP 8000) at academic level 12		Rs. 37400-67000 Stage 4 (AGP 9000) at academic level 13 A	
3	Dr. Adesh Singh	Associate Professor	Agronomy	Rs. 37400-67000 Stage 4 (AGP 9000) at academic level 13 A		Rs. 37400-67000 Stage 5 (AGP 10000) at academic level 14	
4	Dr. Sandeep Kumar	Associate Professor	Biochemistry & Physiology	Rs. 37400-67000 Stage 4 (AGP 9000) at academic level 13 A		Rs. 37400-67000 Stage 5 (AGP 10000) at academic level 14	
5	Dr. Surbhi K. Tyagi	Assistant Professor	Veterinary Surgery & Radiology	Rs. 15600-39100 Stage 3 (AGP 8000) at academic level 12		Rs. 37400-67000 Stage 4 (AGP 9000) at academic level 13 A	

6	Dr. Gulab Chandra	AGP-7000/-	AGP 8000	Vety. Physiology & Biochemistry	Veterinary Physiology	COVAS	30-07-2025
7	Dr. Ahmad Fahim	AGP-7000/-	AGP 8000	LPM	LPM	COVAS	
8	Dr Manoj Kumar Singh	AGP-7000/-	AGP 8000	LPM		COVAS	
9	Dr. Shriya Rawat	AGP-7000/-	AGP 8000	VPHE	VPHE	COVAS	
10	Dr. Prem Sagar Maurya	AGP-7000/-	AGP 8000	Veterinary Parasitology	Veterinary Parasitology	COVAS	
11	Dr. Shivani Sahu	AGP-7000/-	AGP 8000	Veterinary Parasitology		COVAS	
12	Dr. Atul Gupta	AGP-7000/-	AGP 8000	Animal Genetics & Breeding	Animal Genetics & Breeding	COVAS	
13	Dr. Devesh Kumar Yadav	AGP-7000/-	AGP 8000	Animal Genetics & Breeding		COVAS	
14	Dr. Mahesh Kumar Bharti	AGP-7000/-	AGP 8000	Vety Physiology & Biochemistry	Veterinary Biochemistry	COVAS	
15	Dr.Koushlesh Ranjan	AGP-7000/-	AGP 8000	Vety Physiology & Biochemistry	Veterinary Biochemistry	COVAS	
16	Dr. Ajit Kumar	AGP-7000/-	AGP 8000/-	Animal Nutrition	Animal Nutrition	COVAS	31-07-2025
17	Dr. Ram Kumar Singh	AGP-6000/-	AGP 7000/-	LFC- Animal Nutrition		COVAS	
18	Dr. Aditya Kumar	AGP-7000/-	AGP 8000/-	Veterinary Anatomy	Veterinary Anatomy	COVAS	
19	Dr. Shailja Katoch	AGP-6000/-	AGP 7000/-	Veterinary Microbiology	Veterinary Microbiology	COVAS	
20	Dr. Harshit Verma	AGP-7000/-	AGP 8000/-	Veterinary Microbiology		COVAS	
21	Dr. Ashutosh Tripathi	AGP-6000/-	AGP 7000/-	LFC- Veterinary Gynaecology	Veterinary Gynaecology & Obstetrics	COVAS	
22	Dr. Neelesh Kapoor	AGP-6000/-	AGP 7000/-	Finger Printing	DNA Finger printing	Biotech	29-07-2025
23	Dr. Desh deepak	AGP-6000/	AGP 7000/-	Veterinary Medicine	Veterinary Medicine	COVAS	02-08-2025
24	Dr Vipul Thakur	AGP-7000/-	AGP 8000/-	Veterinary Medicine		COVAS	
25	Dr. Vinod Kumar Varun	AGP-6000/-	AGP 7000/-	Veterinary Medicine		COVAS	
26	Dr. Vikash Jaiswal	AGP-7000/-	AGP 8000/-	Veterinary Pathology	Veterinary Pathology	COVAS	
27	Dr. Naresh Chandra	AGP-6000/-	AGP 7000/-	Veterinary Pathology		COVAS	
28	Dr. Shweta Anand	AGP-6000/-	AGP 7000/-	Vety Pharmacology & Toxicology	Vety Pharmacology & Toxicolog	COVAS	
29	Dr. Pramila Umaraw	AGP-6000/-	AGP 7000/-	LPT	LPT	COVAS	

(संलग्नक-06)

12-11-98

चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,
कानपुर।

पत्रांक: सीएसयूडी- 1626 /98 दिनांक: 12-11-98

अधिसूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 29(6) के अधीन माननीय कुलाधिपति महोदय ने चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, की परिनियमावली की अध्याय-XIII में निम्नलिखित प्राविधान किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी है। तद्नुसार कुलपति महोदय के आदेशानुसार प्रबन्ध मण्डल के अनुमोदनोपरान्त अधिसूचना जारी की जा रही है :-

XIII-3. No selection for any appointment under these statutes shall be made except after advertisement of the vacancy in at least three newspapers having adequate circulation in the country.

Provided that no such advertisement in newspapers shall be necessary in the case of an appointment for the post of Dean and Head of Department. Appointment to these positions shall be made in the manner prescribed hereinafter:

4(a)(1) The Dean of Faculty shall be appointed from amongst the professors in the Faculty concerned.

4(a)(2) The Selection Committee for the appointment of a Dean of Faculty shall consist of:-

(i) The Kulpati who shall be the Chairman thereof;

(ii) One Dean of Faculty to be nominated by the Kulpati;

(iii) One representative to be nominated by the Director General, Indian Council of Agricultural Research, New Delhi.

(iv) Two experts to be nominated by the Kuladhipati.

4(a)(3) The term of the Dean shall be three years.

(a)(4) The term of Dean so appointed can be extended for a further period of three years, but in no cases a Dean can hold the post for more than two terms.

---2

CS CamScanner

4(c)(i) The Head of a Department shall be appointed amongst the Professor in the Department in order of seniority.

(ii) The term of a Head of Department shall be of three years which shall not be extended.

4(c) The Head of a Department shall be appointed amongst..

(i) The professor in the Department in order of seniority provided that he has not been debarred from holding any administrative office during the preceding three years.

(ii) The term of Head of Department shall be of [illegible] years which shall not be extended.

उक्त प्राविधान कुलाधिपति महोदय/आर [illegible] के पत्र सं० जी.एस. दिनांक: 13-1-98 द्वारा प्राप्त हुआ है।

(डॉ. [illegible])
सम्पत्ति एवं प्रशासन अधिकारी।

पत्रांक: सीएसयू- /93 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1- कुलाधिपति के सचिव, राज भवन, लखनऊ को पत्र सं0-ई-207/[illegible] दिनांक: 13-1-98 के सन्दर्भ में।
2- सचिव कृषि, कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3- अर्थ नियंत्रक, च0शे0आ0 कृषि एवं प्रौ0वि0वि0, कानपुर।
4- अधिष्ठाता, कृषि संकाय, च0शे0आ0 कृषि एवं प्रौ0वि0वि0, [illegible]
5- अधिष्ठाता, पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय, [illegible]
6- अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, च0शे0आ0 कृषि एवं प्रौ0वि0वि0, [illegible]
7- समस्त प्राध्यापक एवं अध्यक्ष/विभागाध्यक्ष, कानपुर एवं [illegible]।
8- निदेशक, प्रसार/कृषि प्रयोग केन्द्र/शोध एवं [illegible]।
9- अधिष्ठाता, कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी [illegible]
10- उप अर्थ नियंत्रक, वेटेरिनरी कालेज, [illegible]।
11- कुलपति के तकनीकी [illegible] को कुलपति महोदय के [illegible]।

(डॉ. [illegible])
[illegible]

(Page 02 of 05)

CamScanner

13/01/98

87

संख्या- 207 /जी.एस.

लखनऊ, दिनांक 13.1.1998

(पिन कोड नं.-227132)

पंजीकृत

प्रेषक

श्री. राज्यपाल / कुलाधिपति के अपर विधिक परामर्शदाता,

उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

कुलपति,
चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं
प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,
कानपुर ।

विषय: चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में अधिष्ठाताओं एवं विभागाध्यक्षों की नियुक्ति के सम्बन्ध में परिनियमावली में संशोधन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्रांकःसीएसएयू-५३१/९६, दिनांक १४-८-१९९६ का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा-२९(६) के अधीन माननीय कुलाधिपति महोदय ने चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय की परिनियमावली के अध्याय- XIII में विश्वविद्यालय के उपरोक्त विषयक संशोधन प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है और परिनियमावली के अध्याय- XIII में निम्नलिखित प्राविधान किये जाने की स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ सहर्ष प्रदान किया है कि उक्त संशोधन को विश्वविद्यालय की प्रबन्ध परिषद के समक्ष प्रस्तुत करके प्रबन्ध परिषद का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए:-

XIII-3. No selection for any appointment under these statutes shall be made except after advertisement of the vacancy in at least three newspapers having adequate circulation in the country.

Provided that no such advertisement in newspapers shall be necessary in the case of an appointment for the post of Dean and Head of Department. Appointment to these positions shall be made in the manner precribed hereinafter:

4(a)(1) The Dean of Faculty shall be appointed from amongst the professors in the Faculty concerned.

Vice Chancellor Office
D. No. 61-153
27-1-98

..2

(Page 03 of 05)

4(a)(2). The Selection Committee for the appointment of a Dean of Faculty shall consist of:-

(i). The Kulpati who shall be the Chairman there-of;

(ii) One Dean of Faculty to be nominated by the Kulpati;

(iii) One representative to be nominated by the Director General, Indian Council of Agricultural Research, New Delhi.

(iV) Two exparts to be nominated by the Kuladhipati.

4(a)(3) The term of the Dean shall be three years.

(a)(4) The term of Dean so appointed can be extended for a further period of three years, but in no cases a Dean can hold the post for more than two terms.

4(c)(i) The Head of a Department shall be appointed from amongst the Professor in the Department in order of seniority.

(ii) The term of a Head of Department shall be of three years which shall not be extended.

4(c) The Head of a Department shall be appointed from amongst

(i) The professor in the Department in order of seniority provided that he has not been debarred from holding any administrative office during the preceding three years.

(ii) The term of Head of Department shall be of three years which shall not be extended.

..3

राज्यपाल सचिवालय,
उत्तर प्रदेश।

उपरोक्त संशोधन उत्तर प्रदेश शासन कृषि अनुभाग-८ की पत्रावली संख्या ४०८(१७१)/९६ में प्राप्त सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(प्रदीप कुमार दुबे)
कुलाधिपति के अपर विधि परामर्शी।

प्रतिलिपि सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, कृषि अनुभाग-८, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(प्रदीप कुमार दुबे)
कुलाधिपति के अपर विधि परामर्शी।